

# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय ( स्थापना एवं संचालन ) अधिनियम - 2005 के अंतर्गत स्थापित



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन  
वित्तीय वर्ष - 2010-2011

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत स्थापित]



## वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2010-2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

राजस्थान कामगारी विभागीय विधि छापशत्रुघ्नि  
अनुक्रमणिका

(प्रत्येक विधि के अन्त में उन सभी अधिकारों की सूची दी गई है जिनकी विधि इसकी विधि का अनुक्रमणिका है।)

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	01
2.	वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11	02 – 12
3.	अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2010-11	13 – 15
4.	बैलेन्स शीट	16 – 19
5.	लेखा संबंधी अन्य जानकारी	20 – 22

राजस्थान कामगारी विधि व्यवस्था विभाग

प्रतिवेदन 2010-2011 का अधिकारी

राजस्थान कामगारी विधि व्यवस्था विभाग

## प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना एक अधिनियम द्वारा सन् 2002 में हुई। इस अधिनियम में 17 मार्च 2004 को आवश्यक संशोधन किये गये। संशोधित अधिनियम में निजी विश्वविद्यालयों के संचालन एवं विनियमन हेतु कुछ न्यूनतम शर्तें निर्धारित की गईं। तदनुसार, स्थापित कुल 97 निजी विश्वविद्यालयों में से 37 निजी विश्वविद्यालय, जिन्होंने अधिनियम 2004 में दी गई शर्तों का पालन किया, वे अस्तित्व में रह गये और शेष 60 निजी विश्वविद्यालय जो शर्तों का पालने नहीं कर सके, उनको 20 जुलाई 2004 की अधिसूचना द्वारा निरसित कर दिया गया। इस 2004 के अधिनियम में निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया और यह आयोग तत्समय उच्च शिक्षा विभाग में निहित होकर मंत्रालय के एक कमरे से संचालित होता रहा। पश्चात् 1 फरवरी 2005 को निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन महामहिम द्वारा किया गया और प्रो. पी.सी. उपाध्याय निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष मनोनीत हुए। उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षा सलाहकार के पद पर कार्यरत डॉ. यू.एस. पाठक को भी सदस्य के रूप में उसी दिन से आयोग में संलग्न कर दिया गया। कालान्तर में 7 मार्च 2005 को द्वितीय सदस्य प्रो. एस.एन. अग्रवाल (सदस्य अकादमिक) ने आयोग कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया।

यह संयोग ही हुआ कि 11 फरवरी 2005 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित याचिकाओं एवं जनहित याचिकाओं पर एक साथ समग्र रूप से निर्णय देकर सभी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी अधिसूचनाएं निरस्त कर दीं। इसके परिणाम स्वरूप 11 फरवरी 2005 से छत्तीसगढ़ के सभी निजी विश्वविद्यालयों का अस्तित्व समाप्त हो गया। फलस्वरूप इन निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् लगभग 25 हजार छात्र-छात्राएं प्रभावित हुए। छात्रों एवं अभिभावकों में इस निर्णय के कारण दुविधा की स्थिति निर्माण होना स्वाभाविक था। किन्तु तत्कालीन महामहिम लेफ्टीनेंट जनरल के एम. सेठ ने त्वरित पहल करते हुए 16 फरवरी 2005 को एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उच्च शिक्षामंत्री, उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोग के पदाधिकारियों ने भाग लिया और छत्तीसगढ़ में अध्ययनरत् पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा एवं समुचित अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में स्थित दो शासकीय विश्वविद्यालयों यथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के माध्यम से आयोग द्वारा कराई गई। इसके लिए निरस्त निजी विश्वविद्यालयों को संस्था के रूप में तात्कालिक संबद्धता दी गई।

निजी विश्वविद्यालयों की समाप्ति के उपरांत विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर तथा निजी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ की विश्वविद्यालयीन शिक्षा में अपना योगदान भी दे सकें, इसके लिये राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2005 को पारित कर नये सिरे से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में चार निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित हैं।

८.३.२) अ  
(प्रो. एस.एन. अग्रवाल)  
अध्यक्ष

क.ग. निजी वि.वि. विनियामक आयोग

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

## वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन

**वित्तीय वर्ष 2010-2011**

टीप :- (1) छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) यथा संशोधित 17 मार्च 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित आयोग।

(2) उक्त अधिनियम का निरसन एवं व्यावृत्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2005, (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 44 दिनांक 25 अगस्त, 2005 को किया गया।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

(छत्तीसगढ़ शासन)

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने शांति नगर, रायपुर  
दूरभाष (0771) 2446018, फैक्स (0771) 4070131

क्रमांक-426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए. / 2005 / 2693 रायपुर, दिनांक 05 / 01 / 2012

प्रति.

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय डी०के०एस० भवन

रायपर (छग)

विश्यः— वित्तीय वर्ष 2010–2011 की वार्षिक तथा लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

-0-

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि "आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के क्रियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है, कि आयोग के वार्षिक लेखा को चॉटर्ड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है।"

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक 05/01/2012 को विचार कर अनुमोदन किया है।

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक और लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिये संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

*M. Pranav*  
(प्रो० एस०एन० अग्रवाल)

अध्यक्ष

# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2010–2011

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के किया—कलापों का पूर्ण लेखा—जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत है।

## 1. विनियामक आयोग – पदाधिकारी एवं अधिकारी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जायेगा जो राज्य शासन एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरण के बीच अध्यापन, परीक्षा शोध एवं अन्य कार्यक्रम में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तत्संगत शर्ते सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाये रखेगा। विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा तदनुसार आयोग निरन्तर कार्यरत है। आयोग में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी हैं :—

- (1) डॉ अशोक कुमार पारख — अध्यक्ष
- (2) प्रो० एस०एन० अग्रवाल — पूर्णकालिक सदस्य
- (3) डॉ एच०एस० गुप्ता — पूर्णकालिक सदस्य
- (4) डॉ ममता त्रिपाठी — अंशकालिक सदस्य
- (5) श्री मोहन राव पवार — अंशकालिक सदस्य
- (6) प्रो० बी०आर० चन्द्राकर — सचिव

## 2. आयोग कार्यालय में उक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है :—

- (1) डॉ० अशोक कुमार पारख, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 16 जनवरी, 2011 को पूरा हुआ।
- (2) प्रो० एस०एन० अग्रवाल, वरिष्ठ सदस्य, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग को अध्यक्ष पद का प्रभार दिया गया तथा सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के पद से दिनांक 19 मार्च, 2011 को तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ।
- (3) डॉ० एच० एस० गुप्ता, सदस्य, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 09 मार्च, 2011 को पूरा हुआ।
- (4) आयोग कार्यालय में उक्त अवधि के बाद अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त हो गये।

## 3. विनियामक आयोग की बैठकें

वर्ष 2010–2011 में विनियामक आयोग की 09 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गई :—

(1)	09 / 04 / 2010	(2)	20 / 05 / 2010
(3)	23 / 07 / 2010	(4)	09 / 08 / 2010
(5)	29 / 09 / 2010	(6)	18 / 11 / 2010
(7)	04 / 01 / 2011	(8)	19 / 01 / 2011
(9)	07 / 03 / 2011		

## 4. कार्यवाही विवरण

- (1) दी मैग्नस सोसायटी, रायपुर द्वारा प्रस्तावित ली मैग्नस विश्वविद्यालय, ग्राम—चोरहा, तहसील—धमधा, जिला—दुर्ग को दिनांक 26 / 05 / 2006 को जारी आशय पत्र को आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन ने दिनांक 26 / 03 / 2010 को निरस्त किया।

(2) प्रायोजक निकाय दी मैग्नस सोसायटी, रायपुर द्वारा विन्यास निधि एवं ब्याज की राशि वापरी हेतु आवेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। प्रायोजक निकाय के आवेदन पत्र पर सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया तथा प्रायोजक निकाय द्वारा जमा विन्यास निधि की राशि रु. 03 करोड़ विमुक्त करने का निर्णय लिया गया साथ ही 3.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से रु. दो करोड़ पर 69 माह की ब्याज राशि रु. 40,25,000/- एवं एक करोड़ पर 22 माह की ब्याज राशि रु. 641,667/- इस प्रकार कुल ब्याज राशि रु. 46,66,667/- की राशि पर 10 प्रतिशत आयकर की कटौती कर रु. 42,00,000/- विमुक्त करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार प्रायोजक निकाय को रु. 03 करोड़ एवं ब्याज की राशि आयकर कटौती के पश्चात् रु. 42,00,000/- का भुगतान करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

(3) सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, फाफाडीह शाखा, रायपुर में रु. 15,54,59,925/- एवं यूनियन बैंक आफ इंडिया शंकर नगर शाखा में रु. 12, 00,00,000/- सावाधि बचत के रूप में विनियोजित किये गये हैं। टी.डी.आर. की सूची सदस्यों के अवलोकन के लिए प्रस्तुत की गई जिसकी पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।

(4) विनियमन 2009 के तहत आयोग को निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता है। इस संबंध में राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग को निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में आयोग द्वारा लिखे गये पत्र/दिनांक 11/05/2010 की पुष्टि की गई। पदों का विवरण :— (1) सचिव (2) कनिष्ठ लेखा अधिकारी (3) लेखा पाल (4) डाटा एन्ट्री आपरेटर (5) स्टेनोटाइपिस्ट (6) सहायक ग्रेड –3 (7) वाहन चालक ग्रेड–2 (8) भृत्य (9) फर्माश।

(5) प्रायोजक निकाय कावा एजुकेशन वेलफेर एंड रिसर्च सोसायटी को विन्यास निधि के रूप में 02 करोड़ रु. विमुक्त करने का निर्णय लिया गया साथ ही 01/07/2004 से 30/09/2010 (75 माह का) 3.5 प्रतिशत दर से ब्याज की राशि 43,75000 रु. में 4,37,500 रु. आयकर की कटौती कर 39,37,500 रु. की राशि विमुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(6) पूर्ववर्ती आई.यू.एच.टी विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय सोसायटी फार ह्यूमन ट्रांसफारमेशन एंड रिसर्च को विन्यास निधि की शेष राशि रु. 10,00,000/- विमुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया साथ ही 3.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि 72,917 रु. में 7,292 रु. आयकर की कटौती कर 65,625 रु. की राशि विमुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(7) पूर्ववर्ती गुरुकुल विश्वविद्यालय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रकरण कं. 5543/2010 अमित चांदना एवं अन्य विरुद्ध छ.ग. शासन, विचाराधीन होने के कारण प्रायोजक निकाय श्री रामपाल सिंह चौहान शिक्षा समिति गरियाबंद, रायपुर द्वारा जमा विन्यास निधि की राशि रु. 01 करोड़ में से रु.10 लाख रुपये की राशि को रोक कर शेष राशि रु. 90 लाख प्रायोजक निकाय को विमुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, साथ ही ब्याज की राशि 3,20833 रु. में 32,083 रु. आयकर की कटौती कर 2,88,750 रु. राशि विमुक्त करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(8) डॉ० सी०ही० रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर द्वारा नये संकायों के पाठ्यक्रम को जोड़ने के संबंध में विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 27 जुलाई, 2010 पर विचार -विमर्श :-

- |   |   |
|---|---|
| 1. कला संकाय                              | 5. विधि संकाय                             |
| 2. फार्मसी संकाय                          | 6. मॉस कम्यूनिकेशन संकाय                  |
| 3. चिकित्सा संकाय                         | 7. पी-एच.डी. एंव पोर्ट डाक्टरेट कार्यक्रम |
| 4. पेरामेडिकल सार्इस<br>संबंधित पाठ्यक्रम | 8. समस्त संकायों में शोध गतिविधियों के    |

शिक्षण कार्यक्रम जोड़ने हेतु डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर के प्रस्ताव पर आयोग का अनुशंसा पत्र राज्य शासन को भेजने का निर्णय सदस्यों द्वारा लिया गया।

(9) श्री अब्दुल नसीम खान, वरिष्ठ सहायक की पूर्ववत् मानसेवी सेवाएं 8000 रु. मासिक मानदेय पर आगामी आदेश या एक वर्ष जो भी पहले हो रखे जाने का निर्णय सदस्यों द्वारा लिया गया।

(10) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु समय—समय पर 05 प्रायोजक निकायों को आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा आशय पत्र जारी किये गये हैं इन प्रायोजक निकायों के नाम निम्नानुसार हैं :—

1. जिन्दल एजुकेशन एण्ड वेलफेर सोसायटी, खरसिया रोड, रायगढ़।
2. मोंदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसायटी, रायपुर।
3. रितनंद बलवेद इंटरनेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन, रायपुर।
4. एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, नागपुर।
5. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस सोसायटी, रायपुर।

(11) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग वर्तमान में किराये के भवन में संचालित हो रहा है। कार्यालय के लिए अलग से भवन की आवश्यकता है, बैठक में भूमि प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भेजने का निर्णय सदस्यों द्वारा लिया गया।

(12) श्री टी.टी. थॉमस, शीघ्रलेखक ग्रेड-1 (अंग्रेजी) को आयोग में संविदा में नियुक्त करने का निर्णय सदस्यों द्वारा लिया गया।

(13) प्रो० बी०आर० चन्द्राकर, सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, रायपुर की संविदा नियुक्त करने का निर्णय सदस्यों द्वारा लिया गया।

(14) डॉ सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड कोटा बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत अध्यादेश पर विस्तृत रूप से चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। डॉ सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर के अध्यादेश कमांक 33,93,94,95,96,97 को अनुमोदित किया और यह निर्णय लिया गया कि राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए भेजा जाये। तदनुसार उक्त सभी अध्यादेशों को राजपत्र में प्रकाशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित किया गया।

## 5. न्यायालयीन प्रकरण

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में याचिका दायर की गई है, जिनमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रत्येक प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए समस्त प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही की गई।

रिट पिटिशन / कम्प्लेन नं.	माननीय उच्च न्यायालय/उपभोक्ता फोरम का नाम	रिमार्क
ओ. पी. क्र. 109/2005	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नई दिल्ली	स्मृति एवं अन्य विरुद्ध चेयरमैन, रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट, रायपुर एवं अन्य
ओ. पी. क्र. 110/2005	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, नई दिल्ली	अरुणा शर्मा एवं अन्य विरुद्ध चेयरमैन रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट रायपुर एवं अन्य
रिट पिटिशन (सी) नं. 5543 / 2010	माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर	अभित चंदा एवं अन्य छत्तीसगढ़ शासन एवं 3 <sup>rd</sup> अन्य
रिट पिटिशन (टी) नं. 7478 / 2009	माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग एवं मुख्य आयकर अधिकारी टैक्स ऑफिस, सिविल लाइन, रायपुर (छ.ग.)
अपील नं. 172 / 09	जिला उपभोगता विवाद प्रतितोषण रायपुर, छ.ग. फोरम	श्री सिंह जितेन्द्र कुमार राव पिता श्री सी.व्ही.के.राव जे-685, जनता कालोनी गुढियारी, रायपुर (छ.ग.) विरुद्ध आई.यू.एच.टी. एवं अन्य

प्रकरण कं. 218 / 2009	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोशाण फोरम, फरीदाबाद, हरियाणा	आनंद पी.जी कालेज, मीनर गेट, पलवल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा विरुद्ध श्री रावतपुरा सरकार अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं अन्य
रिट अपील नं. 48 / 2010	माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर	श्री गुरुप्रित सिंह / विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं पांच अन्य
रिट पिटिशन (सी) नं. 889 / 2010	माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर	आईटी०एम० सोसायटी विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य

## 6. राज्य की संचित निधि में जमा शुल्क राशि का विवरण :-

- (1) डॉ० सी०ही० रमन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2010-11 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्ति कुल रु० 3,62,419.00 आयोग को प्राप्त हुए जिसे छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- (2) मैट्स विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2010-11 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्ति कुल रु० 3,44,009.00 आयोग को प्राप्त हुए जिसे छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- (3) पूर्ववर्ती कावा ग्लोबल विश्वविद्यालय से वर्ष 2010-11 में रु. 963.00 आयोग को शुल्क राशि के रूप में प्राप्त हुए जिसे छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।

## 7. पूर्ववर्ती/प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही –

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुईं। शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा सूचित करने एवं सलाह देने का कार्य किया गया।

साथ ही उक्त अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रायोजक निकायों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में नये निजी विश्वविद्यालय स्थापति करने के लिए आयोग कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त किये।

सरल क्रमांक	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि	प्रायोजक निकाय का पूरा नाम एवं पता
(01)	(02)	(03)
1.	09 / 04 / 2010	दिशा एजुकेशन सोसायटी, दिशा टॉवर, न्यू शांति नगर, रायपुर
2.	28 / 04 / 2010	दीप भवन, फैजाबाद रोड, भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3.	09 / 06 / 2010	एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, नागपुर
4.	14 / 06 / 2010	जिन्दल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, खरसिया रोड, रायगढ़।
5.	01 / 07 / 2010	सन्दीप फाउन्डेशन कोटेश्वर प्लाजा, नेहरू रोड, मुलुन्द, मुम्बई।
6.	12 / 08 / 2010	मोदी इनोक्वेटिव एजुकेशन सोसायटी, फरिशता काम्प्लेक्स, जी.ई. रोड, रायपुर।
7.	20 / 08 / 2010	राय बिजनेश, स्कूल माना कैम्प, रायपुर।
8.	08 / 10 / 2011	रितिनंद बलवेद इंटरनेशनल फाउन्डेशन, ई-27, डिफेन्स कालोनी, न्यू देहली।
9.	23 / 10 / 2010	मॉ वैष्णव देवी एजुकेशनल ट्रस्ट मटियारी।
10.	27 / 12 / 2010	श्री आशीष मिश्रा, रायपुर।
11.	19 / 01 / 2011	श्री रामलाल गुप्ता मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी केरायर आफ शांति निकेतन कॉलेज कैम्पस, तात्या पारा चौक, रायपुर।
12.	04 / 02 / 2011	अंगूरी देवी मामन चन्द ग्लोबल एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, रायपुर।
13.	25 / 02 / 2011	माता वैष्णव देवी एजुकेशनल ट्रस्ट, लखनऊ (यू.पी.)

## 8. लेखाओं पर प्रतिवेदन

विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स,  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्नक - 1 पर  
है।

*M. Agarwal*

(प्रो० एस०एन० अग्रवाल)  
अध्यक्ष

*C.*

(प्रो० बी०आर० चन्द्राकर)  
सचिव

*M. Maitta*  
(डॉ० ममता त्रिपाठी)  
अंशकालिक सदस्य

*M. Rav Palwar*

(मोहन राव पवार)  
अंशकालिक सदस्य

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग  
शांति नगर, रायपुर - 492 007

**STATUTORY AUDIT REPORT**

of  
**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA**  
**VINIYAMAK**  
**AYOG**

**FOR THE YEAR ENDED**

**ON 31ST MARCH 2011**

---

**AUDITOR**

**BATRA DEEPAK & ASSOCIATES**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

17/901, First Floor Guru Govind Nager  
Opp. Dr. Verma Clinic Raipur (C.G.)

Batra Deepak & Associates  
Chartered Accountants

17/901, First Floor, Guru Gobind Nagar,  
Opp. Dr. Verma's Clinic, **RAIPUR** [Chhattisgarh] 492001  
Phone: 0771-2424657, 2423757, 4055588 Fax: 0771-2436091  
E-mail: deepakca@airtelmail.in; deepakca@hotmail.com

**STATUTORY AUDITORS' REPORT**

To,  
**Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),**  
**29/776, Plot No. 5, Block No. 3,**  
**Opp. Ram Mandir, Shanti Nagar**  
**Madhu Pillai Chowk, Raipur (Chhattisgarh)**

We have audited the attached Balance Sheet of **CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG)** as at 31st March 2011 and the attached Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit;
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.
- (e) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- (f) Our audit observations together with comments received from Ayog are as under:-
  - (1) The Grant in aid has not been kept in a separate bank account.
  - (2) The Ayog has followed cash method of accounting thus interest accrued on Fixed deposits / term deposits with Banks has been recognized as income on actual receipt basis. Similarly interest payable on endowment and additional funds has been accounted for on actual payment basis.



- (3) It was observed that from Dr. C. V. Raman University, Ayog has received interest which is short by Rs.843/-.
- (4) Share in students fees from October 2010 onwards has not been received.
- (5) In case of MATS University also, share in students fees has not been received from October 2010.
- (6) Fees collected by Ayog is supposed to be deposited in 15 days in Government Treasury Account. However, in following instances delay was observed:-

Sr. No.	Name of University	Fees Amount @ 1%	Date of Receipt	Due Date of Receipt	Date of Deposit	Delay In days
1.	Dr. C.V. RAMAN	24911	06/08/10	21/08/10	23/08/10	2
2.	Dr. C.V. RAMAN	1868	06/08/10	21/08/10	23/08/10	2
3.	KAVA GLOBAL UNIVERSITY	961	13/09/10	28/09/10	14/10/10	16
4.	KAVA GLOBAL UNIVERSITY	2	13/09/10	28/09/10	14/10/10	16

It has been informed to us that the steps are being taken to improve.

- (7) On the salary of Mr. T. T. Thomas TDS was not made. In reply it is mentioned that the said person has filed his return separately. Here it is pertinent to mention that it is the responsibility of the employer to deduct tax at source and the responsibility does not get extinguished merely because the person has filed his IT Return.
- (8) It was observed that office building of the Ayog is not insured. In reply it has been informed that the same will be got done.
  
- (9) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read together with the notes thereon, but subject to para (f) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:

- (i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2011, and
- (ii) In the case of Income and Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG. NO. 005408C

  
[KUMAR GORAVE]  
PARTNER  
M.NO. 402545  


PLACE: RAIPUR  
DATE: 29.09.2011

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2011**

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT(Rs.) 31.03.2011	AMOUNT(Rs.) 31.03.2010
<b>SOURCES OF FUNDS:</b>			
<b>CAPITAL FUND:</b>			
GOVERNMENT GRANT	"A"	12000000.00	12000000.00
SURPLUS		69635069.97	84477309.47
T-O-T-A-L :-		<b>81635069.97</b>	<b>96477309.47</b>
<b>APPLICATION OF FUNDS:</b>			
<b>FIXED ASSETS:</b>	"B"		
OPENING W.D.V.		476112.00	541817.00
LESS: DEPRECIATION		56631.00	65705.00
CLOSING W.D.V.		<b>419481.00</b>	<b>476112.00</b>
<b>CURRENT ASSETS, LOANS &amp; ADVANCES:</b>			
CASH & BANK BALANCES	"C"	2443683.97	2729292.47
INVESTMENTS IN FDR(s)	"D"	200959925.00	275459925.00
DEPOSITS & ADVANCES	"E"	2311980.00	2311980.00
		<b>205715588.97</b>	<b>280501197.47</b>
<b>LESS: CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS:</b>	"F"		
NET CURRENT ASSETS		124500000.00	184500000.00
T-O-T-A-L :-		<b>81635069.97</b>	<b>96477309.47</b>
		0.00	0.00
NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI  
VISHWAVIDYALAYA & VINAYAMAK AYOG

*[Signature]*  
**(Prof. O.N. Agrawal)**  
**CHAIRMAN**

*[Signature]*  
**(Prof. B.R. Chandraker)**  
**[MEMBER ADMIN.]**  
**Secretary**

DATE : 29.09.2011  
 PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
 CHARTERED ACCOUNTANTS  
 FIRM REG. NO. 005408C

*[Signature]*  
**[KUMAR GORAVE]**  
**PARTNER**  
**M.NO. 402545**



DATE : 29.09.2011  
 PLACE: RAIPUR

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
**FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2011**

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.) 31/03/2011	AMOUNT (Rs.) 31/03/2010
I-N-C-O-M-E :			
SALE OF FORMS & MISCELLANEOUS INCOME		36600.00	6500.00
INTEREST FROM FDRS		1611839.00	25002921.00
INTEREST FROM SAVING ACCOUNT		103557.00	168968.00
INTEREST FROM I.T. REFUND		0.00	64223.00
	TOTAL (A)	<b>1751996.00</b>	<b>25242612.00</b>
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :			
PETTY CASH EXPENSES (TILL MONEY)		22284.00	17889.00
STAFF SALARY		1843031.00	1786122.00
T.A. & D.A. ALLOWANCE		632.00	384.00
AUDIT FEES		16545.00	16545.00
ADVERTISEMENT EXPENSES		25282.00	0.00
TELEPHONE EXPENSES		52815.00	61044.00
RENT EXPENSES		216000.00	216000.00
ELECTRICITY CHARGES		5470.00	22553.00
TRAVELLING AND CONVEYANCE EXPENSES		498562.00	612000.00
DEPRECIATION		56631.00	65705.00
INTEREST PAID ON ENDOWMENT & ADDITIONAL FUND		13639792.00	6475000.00
INSURANCE PREMIUM		1158.00	1310.00
BANK CHARGES		1746.00	1824.00
PRINTING & STATIONERY EXPENSES		18694.00	31710.00
SITTING FEES		22000.00	15000.00
PROFESSIONAL EXPENSES		103203.50	24891.00
LEGAL FEES		37700.00	339685.00
MEDICAL REIMBURSEMENT		11200.00	0.00
REPAIRS & MAINTENANCE EXPENSES		21490.00	32481.00
	TOTAL (B)	<b>16594235.50</b>	<b>9720143.00</b>
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE (A - B)		(14842239.50)	15522469.00
NET SURPLUS CARRIED TO BALANCE SHEET		<b>(14842239.50)</b>	<b>15522469.00</b>
NOTES TO ACCOUNTS FORM INTEGRAL PART OF BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA  
**CHHATTISGARH NIJI**  
**VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**

*[Signature]*  
**Prof. [Signature]**  
Chairman

*[Signature]*  
**[MEMBER] [MEMBER] Chandraker)**  
Secretary

DATE : 29.09.2011  
PLACE: RAIPUR

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG. NO. 005408C

*[Signature]*  
**[KUMAR GORAVE]**  
**PARTNER**  
M.NO. 402545



DATE : 29.09.2011  
PLACE: RAIPUR

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011**

PARTICULARS	AS AT 31.03.2011	AS AT 31.03.2010
<b>SCHEDULE - "A"</b>		
<b>RESERVES &amp; SURLUS:</b>		
Opening Balance	84477309.47	68954840.47
Add : Surplus/(Deficit)	(14842239.50)	15522469.00
T-O-T-A-L :-	<b>69635069.97</b>	<b>84477309.47</b>
<b>SCHEDULE - "C"</b>		
<b>CASH AND BANK BALANCE:</b>		
<b>Bank Balances :</b>		
Balance with SBI [ A/C No. 10038940389]	6204.73	10836.73
Balance with UBI [ A/C No. 540902050000007]	(7740.76)	8455.74
Auto Sweep A/c (Union Bank of India)	2294000.00	2565000.00
Flexi account with SBI	151000.00	145000.00
<b>Cash-in-hand</b>		
Petty Cash (Till Money)	220.00	0.00
T-O-T-A-L :-	<b>2443683.97</b>	<b>2729292.47</b>
<b>SCHEDULE - "D"</b>		
<b>INVESTMENTS IN FDR(s):</b>		
a) Fixed Deposits with Central Bank of India	117459925.00	155459925.00
b) Fixed Deposits with Union Bank of India	83500000.00	120000000.00
T-O-T-A-L :-	<b>200959925.00</b>	<b>275459925.00</b>
<b>SCHEDULE - "E"</b>		
<b>DEPOSITS &amp; ADVANCES</b>		
a) T. D. S. RECEIVABLE ( A.Y 2005-06)	2177511.00	2177511.00
b) T. D. S. RECEIVABLE ( A.Y 2007-08)	85617.00	85617.00
c) Deposit for rent	45000.00	45000.00
d) Deposit for telephone	3852.00	3852.00
T-O-T-A-L :-	<b>2311980.00</b>	<b>2311980.00</b>
<b>SCHEDULE - "F"</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISION</b>		
a) Endowment Fund	114500000.00	174500000.00
b) Additional Fund	10000000.00	10000000.00
T-O-T-A-L :-	<b>124500000.00</b>	<b>184500000.00</b>



**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**SCHEDULE "B" DETAILS OF FIXED ASSETS**

PARTICULARS	RATE OF DEP.	W.D.V. AS ON 01.04.2010	ADDITIONS		TOTAL DEPRE- CIATION	W.D.V. AS ON 31.03.2011
			UPTO 30.09.10	AFTER 30.09.10		
FURNITURE & FIXTURES	10%	308177.00	0.00	0.00	308177.00	30818.00
OFFICE EQUIPMENTS	15%	144157.00	0.00	0.00	144157.00	21624.00
COMPUTERS	60%	1381.00	0.00	0.00	1381.00	829.00
AIR CONDITIONER	15%	22397.00	0.00	0.00	22397.00	3360.00
<b>TOTAL</b>		<b>476112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476112.00</b>	<b>56631.00</b>
						<b>419481.00</b>

**CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**SCHEDULES ATTACHED TO & FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AND**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31<sup>ST</sup> MARCH, 2011**

**SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS**

**A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:**

**1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:**

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

**2. FIXED ASSETS:**

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

**4. DEPRECIATION:**

Ayog has provided for depreciation as per rates prescribed under The Income Tax Act.

**5. TAXATION:**

No provision for current taxation and/or deferred tax is made as the income of institution is claimed to be exempt from Income Tax.

**B. NOTES TO ACCOUNTS :**


(i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.

(ii) Contingent Liabilities:- The liability of Rs.91,87,500/- towards interest due on endowment fund and interest of Rs. 350000/- towards additional fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.

SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

For, CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA  
VINAYAMAK AYOG

  
[PROF. SUKHWANI KUMARI]  
[CHAIRMAN]

  
[P. P. GORAVE]  
[MEMBER ADMIN.]  
Secretary

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG. NO. 005408C

  
[KUMAR GORAVE]  
PARTNER  
M.NO. 402545



DATE: 28.09.2011  
PLACE: RAIPUR

DATE: 28.09.2011  
PLACE: RAIPUR

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**DETAILS OF ENDOWMENT FUNDS**

<b>NAME OF THE UNIVERSITY</b>	<b>AS ON 31.03.2011</b>	<b>AS ON 31.03.2010</b>
C V RAMAN UNIVERSITY	10000000.00	10000000.00
G. H. RAISONI UNIVERSITY	1000000.00	1000000.00
GURUKUL UNIVERSITY	1000000.00	10000000.00
ICFAI UNIVERSITY	30000000.00	30000000.00
KAWA GLOBALI UNIVERSITY	0.00	20000000.00
KALINGA UNIVERSITY	30000000.00	30000000.00
LE MAGNUS UNIVERSITY	0.00	30000000.00
MATS UNIVERSITY	30000000.00	30000000.00
MODI INTERNATIONAL UNIVERSITY	10000000.00	10000000.00
RAWATPURA SARKAAR UNIVERSITY	1000000.00	1000000.00
UNIVERSITY OF HUMAN TRANSFORMATION	0.00	1000000.00
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY & SCIENCE	1500000.00	1500000.00
<b>TOTAL</b>	<b>114500000.00</b>	<b>174500000.00</b>

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**DETAILS OF ADDITIONAL FUNDS**

<b>NAME OF THE UNIVERSITY</b>	<b>AS ON 31.03.2011</b>	<b>AS ON 31.03.2010</b>
MODI INTERNATIONAL UNIVERSITY	10000000.00	10000000.00
<b>TOTAL</b>	<b>10000000.00</b>	<b>10000000.00</b>



**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**DETAILS OF FIXED DEPOSIT RECEIPTS**

PARTICULARS	AMOUNT 31.03.2011	AMOUNT 31.03.2010
<b>FDR WITH UNION BANK OF INDIA. (SHANKAR NAGAR)</b>		
FDR NO. 700499	0.00	9500000.00
FDR NO. 700500	0.00	9500000.00
FDR NO. 700501	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 700502	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 700503	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 700504	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 700505	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 700506	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 700507	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 700508	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 700509	0.00	5000000.00
FDR NO. 700510	0.00	5000000.00
FDR NO. 700511	0.00	5000000.00
FDR NO. 700512	5000000.00	5000000.00
FDR NO. 700513	2500000.00	2500000.00
FDR NO. 700514	0.00	2500000.00
<b>TOTAL</b>	<b>83500000.00</b>	<b>120000000.00</b>
<b>FDR WITH CENTRAL BANK OF INDIA</b>		
FDR NO. 29615	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29616	3459925.00	3459925.00
FDR NO. 29617	0.00	9500000.00
FDR NO. 29618	0.00	9500000.00
FDR NO. 29619	0.00	9500000.00
FDR NO. 29620	0.00	9500000.00
FDR NO. 29621	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29622	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29623	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29624	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29625	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29626	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29627	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29628	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29629	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29630	9500000.00	9500000.00
FDR NO. 29631	9500000.00	9500000.00
<b>TOTAL</b>	<b>117459925.00</b>	<b>155459925.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>200959925.00</b>	<b>275459925.00</b>

DATE: 25.03.2011  
 PLACE: RAIPUR



छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग  
मधुपिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने  
शांति नगर, रायपुर (छ.ग) 492007  
दूरभाष क्रं. 0771- 2446018